न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 11/2021 अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गोमाराम पुत्र तुलछाराम 2. मगाराम पुत्र तुलछाराम 3. वीरमाराम पुत्र तुलछाराम 4. हरजीराम पुत्र तुलछाराम 5. हेमी पत्नी तुलछाराम जाति जाट, निवासी फतेहपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार शिव 2. चिम्माराम पुत्र करनाराम 3. बगताराम पुत्र करनाराम 4. बागाराम पुत्र करनाराम 5. खेराजराम पुत्र करनाराम 6. घमण्डाराम पुत्र करनाराम 7. ठाकराराम पुत्र उम्मेदाराम 8. चेतनराम पुत्र उम्मेदाराम जाति जाट, निवासी फतेहपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण :– श्री ईश्वरसिंह भाटी।
2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 से 8 :– कैलाशसिंह राठौड़।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 30.06.2023

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि ग्राम फतेहपुरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 684/278 रकबा 74.15 बीघा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आई हुई है एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 8 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 278, 682/278, 683/278 आये हुए है। उक्त विवादित आराजी मूल खसरा नम्बर 278 का भाग थी, जो पक्षकारान् के मध्य विभाजन होने से नये खसरो का सृजन हुआ है। उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 2 से 8 के वालिदों को आवंटन हुई थी, जो उनकी फौतगी पर पक्षकारान् का विरासत में प्राप्त हुई है। वक्त आवंटन से ही प्रार्थीगण द्वारा अपने कब्जा काश्त की भूमि में ढाणी वगैरा बनाकर रहवास किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा सेग्रीगेशन अभियान के तहत राजस्व कर्मचारियों द्वारा लट्ठा नक्शा में बिना खातेदारान् को सूचित किये व मौके पर कब्जा काश्त की जांच किये बिना पृथक पृथक तरमीम अंकित कर दी गई, जिससे मौके पर पक्षकारान् के कब्जा काश्त व लट्ठा नक्शा में की गई तरमीम में भारी भिन्नता आ गई है। राजस्व कर्मचारियों को उक्त आराजी की तरमीम पक्षकारान् के कब्जा काश्त अनुसार करनी थी, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके की जांच किये बिना ही गलत तरमीम कर दी गई। उक्त गलत तरमीम से पक्षकारान् के खेतों में मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर माफिक कब्जाकाश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। विप्रार्थी संख्या 2 से 8 की ओर से जरिये अधिवक्ता इकबाली जवाब पेश करते हुए उक्त तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने की अनुशंषा की है। साथ ही संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत उक्त खसरा के खातेदारान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है। विप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार शिव द्वारा भी मौके पर कब्जा काश्त एवं हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा भी प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तदनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीगण द्वारा लट्ठा नक्शा में विवादित आराजी की विद्यमान तरमीम को निरस्त कर मौके पर पक्षकारान् के कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती को उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है तथा विप्रार्थीगण पक्षकारान् द्वारा भी मौके पर उपस्थित होकर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की जाकर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ किये गये है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तदनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम फतेहपुरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 684/278, 278, 682/278, 683/278 रकबा क्रमशः 74.15, 14.01, 37.10, 23.00 बीघा भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तदनुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 30.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)